मुख्य कार्य

डीजीईएवंटी के प्रमुख कार्य हैं:

क) व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु समग्र नीतियों, प्रतिमानों तथा मानकों की रचना।

ख) शिल्पकार तथा शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षण सुविधाओं का विविधीकरण, अद्यतनीकरण और विस्तार।

ग) विशेष रूप से स्थापित प्रशिक्षण संस्थानों में विशेषीकृत प्रशिक्षण और अनुसंधान आयोजित तथा संचालित करना।

घ) शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन शिक्षुओं के प्रशिक्षण का कार्यान्वन, विनियमन तथा विस्तार करना।

ङ) महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

च) व्यावसायिक मार्गदर्शन और रोजगार परामर्श उपलब्ध कराना।

छ) अनु. जातियों/अनु.जनजातियों तथा अपंग व्यक्तियों की सक्षमता वृद्धि द्वारा वेतन रोजगार तथा स्व-रोजगार हेतु उनकी सहायता करना।

ज) रोजगार अधिकारियों हेतु नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना और रोजगार सेवा कार्मिक द्वारा प्रयोग किए जाने हेतु स्टाफ प्रशिक्षण सामग्री का विकास करना।

झ) रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित सूचना एकत्र और प्रचारित करना तथा एक समान रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं निर्धारित करना।